न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.एस संख्या 2024/60

1 ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र, जाति बैरवा निवासी ग्राम काकलवाड, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती निहाली देवी उर्फ न्याली देवी पुत्री कजोडमल बैरवा, धर्मपत्नी घासीराम बैरवा, जाति बैरवा हाल निवासी उनियारा खुर्द, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
2. धर्मराज पुत्र छीतर
3. निशा पुत्री छीतर
4. पूजा पुत्री छीतर
5. सरमा पत्नी छीतर
6. शिवानी पुत्री छीतर
7. प्रसन पुत्री रामचन्द्र
8. छोटू पुत्र रामचन्द्र
9. सोना पुत्री रामचन्द्र समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्राम काकलवाड, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 29/1/2024 न्यायालय तहसीलदार महोदय आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर प्रकरण संख्या 09/2023 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) एल. आर. एक्ट में निर्णय पारित किया गया।

अपील जी.सी.एम.एस संख्या 2024/59

1 ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र, जाति बैरवा निवासी ग्राम काकलवाड, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती निहाली देवी उर्फ न्याली देवी पुत्री कजोडमल बैरवा, धर्मपत्नी घासीराम बैरवा,जाति बैरवा हाल निवासी उनियारा खुर्द, तहसील टोडारायसिंह, जिलाटोंक।
2. धर्मराज पुत्र छीतर
3. निशा पुत्री छीतर
4. पूजा पुत्री छीतर
5. सरमा पत्नी छीतर
6. शिवानी पुत्री छीतर
7. प्रसन पुत्री रामचन्द्र
8. छोटू पुत्र रामचन्द्र

संभागीय आयुक्त
जयपुर

9. सोना पुत्री रामचन्द्र समस्त जाति बैरवा, निवासी ग्राम काकलवाड, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2024 न्यायालय तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर जिसके तहत नामान्तरकरण संख्या 399 दिनांक 08.02.2024 को अस्वीकृत किया गया।

उपस्थित–

1. श्री विजय कुमार शर्मा, वकीलअपीलान्ट
2. श्री सुरेश कुमार चाहर वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5, 7 से 9 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–13.05.2024

1. उक्त दोनो अपीलें राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार, आमेर के निर्णय दिनांक 29.01.24 एवं 08.02.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।दोनो अपीलों में विषयवस्तु, कानूनी बिन्दू समान होने से निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नंबर 416/2, 417/2, 419/2, 420/1, 421/3, 422/3, 434/2, 435/2, 436/2, 437/2 कुल किता 10 कुल रकवा 10.49 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार घासीराम बैरवा पुत्र रामचन्द्र बैरवा हिस्सा 1/3 जिसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 200 दर्ज किया गया, जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 25/2/2014 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष अपील पेश होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 9/5/2016 को तहसीलदार आमेर को प्रकरण रिमाण्ड करते हुये नामान्तकरण संख्या 200 पर पारित आदेश दिनांक 25/2/2014 को अपास्त कर पुनः सुनवाई हेतु निर्देशित किया। जिसकी पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा दिनांक 19.10.16 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं प्रकरण में मृतक खातेदार के हक एवं उत्तराधिकार का मिश्रित बिन्दु निहित होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.24 पारित किया गया एवं आदेश दिनांक 29.01.2024 की पालना में विवादित नामान्तरकरण को अस्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 08.02.2024 पारित किया गया।

3. तहसीलदार, आमेरके उक्त निर्णय दिनांक 29.01.24एवं 08.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्रद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं तहसीलदार आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.24 एवं 08.02.2024 को अपास्त किये जाने तथा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 19.10.16 की पालना में नामान्तकरण संख्या 399 दर्ज किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 416/2, 417/2, 419/2, 420/1, 421/3, 422/3, 434/2, 435/2, 436/2, 437 / 2 कुल किता 10 कुल रकवा 10.49 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार घासीराम बैरवा पुत्र रामचन्द्र बैरवा हिस्सा 1/3 जिसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 200 दर्ज किया गया, जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 25/2/2014 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष अपील संख्या 12/2016 बउनवानी छीतर बनाम सरकार प्रस्तुत की गई, जो माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा दिनांक 9/5/2016 को तहसीलदार आमेर को प्रकरण रिमाण्ड करते हुये नामान्तकरण संख्या 200 पर पारित आदेश दिनांक 25/2/2014 को अपास्त कर पुनः सुनवाई हेतु निर्देशित किया। आदेश दिनांक 9/5/2016 की पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत प्रकरण संख्या 4 /2016 बउनवानी छीतर बनाम सरकार दर्ज अंकित कर विधिवत सुनवाई कर दिनांक 19/10/2016 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्देशित किया कि "मृतक घासीराम पुत्र रामचन्द्र के नाम रिकार्ड में दर्ज भूमि का नामान्तकरण उनके विधिक वारिसान श्री छीतर, छोटू ओमप्रकाश पुत्रान रामचन्द्रके नाम दर्ज करने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा माननीय तहसीलदार के आदेश दिनांक 19/10/2016 की पालना नही की गई अपितु लगभग 7 वर्ष पश्चात घासीराम बैरवा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 399 प्रस्तुत हुआ जिस पर तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित निर्णय को अन्देखा करते हुये पुनः प्रकरण को धारा 135 (2) में दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसमें घासीराम की विरासत दर्ज करने के निर्णय सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने के आदेश दिये। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट अंकन किया गया था कि पूर्व में ही घासी की विरासत एल. आर. एक्ट की धारा 135 (2) के तहत निर्णित की जा चुकी है उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस कानूनी बिन्दू पर भी कतई गौर नही किया कि घासीराम पुत्र रामचन्द्र की विरासत के संबंध में निर्णय पूर्व में ही तहसीलदार द्वारा दिनांक 19/10/2014 को किया गया जा चुका था। प्रकरण में पूर्व में ही आदेश पारित किये जा चुके है एवं श्रीमती निहाली देवी उर्फ न्याली देवी पुत्री कजोड द्वारा पूर्व में ही दिनांक 23/4/2014 को 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर अपने समस्त अधिकार उक्त भूमि में नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार आमेर दिनांक 29.01.2024 निरस्त किया जावे एवं आदेश दिनांक 29.01.2024 की पालना में विवादित नामान्तरकरण संख्या 399 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2024 को भी निरस्त किया जावे तथा पूर्व में पारित तहसीलदार आमेर के प्रकरण संख्या 04/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19/10/2016 की पालना में नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

6. रेस्पोडेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम खैरवाडी तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 416/2, 417/2, 419/2, 420/1, 421/3, 422/3, 434/2, 435/2, 436/2, 437/2 कुल किता 10 कुल रकवा 10.49 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार घासीराम बैरवा पुत्र रामचन्द्र बैरवा हिस्सा 1/3 दर्ज है। अप्रार्थीया निहाली देवी की शादी श्री घासीराम के साथ हुई थी उनसे मेरे

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कोई संतान नहीं हुई है, मैने स्वेच्छा से दूसरी शादी श्री नारायण लाल बैरवा से कर ली है वर्तमान में उनके साथ रहती है एवं श्री नारायण लाल से मेरे एक पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पति की सम्पत्ति में पत्नी का विधिवत् अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.24 उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार आमेर द्वारा विधिवत् ही मृतक खातेदार के हक एवं उत्तराधिकार का मिश्रित बिन्दु निहित होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.24 पारित किया गया जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार घासीराम बैरवा पुत्र रामचन्द्र बैरवा की विरासत को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट जिसमे स्पष्ट रूप से अंकन है कि मृतक खातेदार घासीराम बैरवा के एक अन्य वारिसान निहाली जो घासी की पत्नी थी जो नाते चली गई आज दिनांक तक जीवित है ,के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार पत्नी को प्रथम श्रेणी का वारिस मानते हुये ही प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश दिये हैं एवं प्रकरण में मृतक खातेदार के हक एवं उत्तराधिकार का मिश्रित बिन्दु निहित होने से सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु लिखा है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी निम्न न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

2003 (1) RRT- 650 HC Jethu singh vs Bhawar Singh- Mutation Proceeedings are Fiscal enteries Like Mutation does not represent or Create any Title or Interest in the property nor the Complicated issues of Succession, either by way of Will or adoption can be Settled in mutation proceedings.
ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की प्रक्रिया एक सरसरी प्रक्रिया है इसमें किसी के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

Hindu Sucession Act (30 of 1956), Ss. 24,14,4 - Hindu Widow's Remarriage Act (15 of 1856), S.2 (Since Repealed)- Remarrying Widows- Restriction on succession- Widow inheriting property of her husband on his death- Becomes its absolute owner- Subsequent remarriage does not divest her of property in view of Ss. 24, 14- Succession Act overrides provisions of 1856 Act. ऐसे में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पति की सम्पत्ति में पत्नी का विधिवत् अधिकार हैं।

प्रकरण में अपीलांट मृतक खातेदार घासीराम बैरवा की विरासत में अपने उत्तराधिकार के संबंध में अधिकार तय कराने आये हैं जो कि नामान्तरकरण की प्रक्रिया के तहत् नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही कर उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के लिए अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार आमेर उचित एवं विधिसम्मत है इसमें किसी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आमेर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 29.01.2024 एवं 08.02.2024 यथावत रखा जाता है एवं पक्षकार मृतक खातेदार घासीराम बैरवा की विरासत में अपने उत्तराधिकार के संबंध में अधिकार तय कराने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।